न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हरिप्रसाद बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे० प्र.सं. 88/2024
15-1-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्यो में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17-1-25 को पेश हो।
17.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 24.01.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
24.01.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 31.01.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
31.01.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तु[illegible] आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने [illegible] स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय [illegible] लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल [illegible]र होकर मूल वादपत्र [illegible] हमफिता हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
88 / 2024	2024 / 292	10.09.2024	31.01.2025

उनवान प्रकरण

1. हरिप्रसाद पुत्र स्व0 गोपीराम आयु 48 वर्ष
2. सोहनलाल पुत्र स्व0 गोपीराम आयु 45 वर्ष
3. शिम्भूदयाल पुत्र स्व0 गोपीराम आयु 48 वर्ष

समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

——प्रार्थीगण

बनाम्

1. लालूराम पुत्र लादूराम
2. नेमीचन्द पुत्र लालूराम
3. रामस्वरूप पुत्र लालूराम
4. महावीर पुत्र लालूराम

समस्त जाति माली निवासीगण मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

5. भूमिधारक तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
6. पटवारी पटवार हल्का मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना
7. उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

———अप्रार्थीगण——

उपस्थितः—

श्री विक्रम सिंह [illegible] अभिभाषक।

श्री कमल कुमार शर्मा एड0 [illegible] संख्या 1 ता 4 अभिभाषक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3868 रकबा 0.31 हैक्टर, 3869 रकबा 0.22 हैक्टर, 3871 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित होकर 1/12 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् के पिता/पति स्व0 गोपीराम पुत्र लादूराम के नाम एंव शेष हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड अनुसार दावे में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 28 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् एंव दावें में प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 28 की शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि का पक्षकारान् के मध्य कोई विधिक विभाजन अभी तक नहीं हुआ है तथा बिना विधिक विभाजन सहखातेदार का कानूनन इंच इंच पर हक हिस्सा अधिकार स्वामित्व होता है। अप्रार्थीगण को बिना विधिक तकारस्मा कराये अन्तरित का हक अधिकार नहीं होता है। वर्तमान समय में जमीनों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण दावे में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 के मन में लोभ लालच पैदा हो गया है तथा दावे में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 28 द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप से प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् से वाद विवाद उत्पन्न किया जाता है एंव झगड़ा किया जाता है। प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् का उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग उपभोग आदि करने में अवरोध कारित किया जाता है तथा बात–बात को लेकर झगड़े फिसाद एंव मरमार करने पर अप्रार्थीगण उतारू हो जाते है। उक्त भूमि का प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् का अप्रार्थीगण की शामिल में काश्त किया जाना असंभव हो गया है तथा प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि का समुचित विकास एंव उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपभोग करने से महरूम हो रहे है। उक्त वर्णित भूमि को बाला-बाला बिना विधिक या सतुंलित रूप से बंटवारा करवाये ही बेश कीमती भूमि कब्जा कर भूमियों को दीगर भूमाफियाओं को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व भूमि के विशिष्ट भाग पर निर्माण आदि करने एवं कृषि भूमि का अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एंव खुर्द-बुर्द करने की एहलानियॉ धमकीयॉ दे रहे है व प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् को उसके हक हिस्से एवं अधिकार से जोर जबरन महरूम कर बेदखल करने की धमकीयॉ दे रहे है व कुचेष्टा कर रहे है। जिनको शामलाती भूमि का बिना बंटवारा कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने काफी हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने से अप्रार्थीगण मान नहीं रहे है। अप्रार्थीगण बिना बंटवारा कराये उक्त वर्णित भूमि को बढ़ती हुई कीमतों के कारण उनके मन में बदनियति आने पर दीगर भूमाफियाओं को विशिष्ठ भू भाग को बैचान करने एंव जबरन विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा करने एंव कराने पर आमादा हो रहे है। यदि अप्रार्थीगण उक्त शामलाती भूमि में विशिष्ठ जगह पर स्वंय का जोर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया या दीगर भू माफियावृत्ति के लोगों को अन्तरण आदि कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया या भूमि में निर्माण आदि कर लिया या कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील कर दिया या मौका सूरत तब्दील कर दिया तो प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होगें। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त गलत अवैध एंव मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को प्रार्थीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के कानूनी अधिकारी है एंव अप्रार्थीगण को न्यायहित में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमियों का बंटवारा नहीं कर रखा है। अप्रार्थीगण के मन में लोभ लालच पैदा हो जाने एंव दिनांक 2.09.2024 को मौजूद अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिये तथा प्रार्थीगण को लठ एंव ताकत के बल पर जबरन बेदखल करने तथा बिना विधिक विभाजन के भूमियों के विशिष्ट एंव उपजाउ [illegible] पर जोर जबरन से अतिक्रमण करने एंव दीगर भूमाफियाओं का कब्जा करवाकर [illegible] निर्माण आदि करने एंव मौका सूरत तब्दील करने की एहलानियॉ धमकी दे[illegible]से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

निषेधाज्ञा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को मय परिवारजन, एजेन्ट सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि ता–दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3868 रकबा 0.31 हैक्टर, 3869 रकबा 0.22 हैक्टर, 3871 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्टर तन ग्राम गुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 में किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नही करे, ना ही कोई निर्माण करे, ना ही मकानात दुकानात आदि का निर्माण करे, ना ही अपने उत्तराधिकारी स्थानापन्न प्रतिनिधि आदि से करवाये ना ही प्रार्थी एवं इनके परिजनो के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग आवागमन में कोई मजाहमत पैदा करे ना ही प्रार्थीगण एवं इसके परिजनो के वाहनो के आवागमन आदि मे कोई व्यवधान पैदा करे, ना ही स्वयं का कब्जा करे ना ही दीगर का कब्जा करवाये ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थी के रास्ते के आवागमन एवं उपयोग–उपभोग पर को विपरीत असर पडता हो एवं अप्रार्थीगण नम्बर 5 ता 7 को भी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि बाबत पेश होने वाले किसी भी अन्तरण लेख, विक्रय लेख, रहन लेख इत्यादि को तस्दीक नहीं करें एव ना ही रिकार्ड परिवर्तन करे एंव ना ही रहन लेख तस्दीक करने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। शेष अप्रार्थीगण संख्या– 5 लगायत 7 की तामील असालतन होकर आने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या– 5 लगायत 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने बहस सुने जाने का निवेदन किया है।

जिस पर प्रकरण में बहस वकील [illegible] पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3868 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

31 हैक्टर, 3869 रकबा 0.22 हैक्टर, 3871 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्टर तन ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 में अविभक्त होकर 1/12 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् के पिता/पति स्व0 गोपीराम पुत्र लादूराम के नाम एंव शेष हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड अनुसार दावे में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 28 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान एंव दावें में प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 28 की शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि का पक्षकारान् के मध्य कोई विधिक विभाजन अभी तक नहीं हुआ है तथा बिना विधिक विभाजन सहखातेदार का कानूनन इंच इंच पर हक हिस्सा अधिकार स्वामित्व होता है। अप्रार्थीगण को बिना विधिक तकारमा कराये अन्तरित का हक अधिकार नहीं होता है। वर्तमान समय में जमीनों की बढती हुई कीमतों के कारण दावे में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 के मन में लोभ लालच पैदा हो गया है तथा दावे में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 28 द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप से प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् से वाद विवाद उत्पन्न किया जाता है एंव झगड़ा किया जाता है। प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् का उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग उपभोग आदि करने में अवरोध कारित किया जाता है तथा बात–बात को लेकर झगड़े फिसाद एंव मरमार करने पर अप्रार्थीगण उतारू हो जाते है। उक्त भूमि का प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् का अप्रार्थीगण की शामिल में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास एंव उपयोग उपभोग करने से महरूम हो रहे है। उक्त वर्णित भूमि को बाला–बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवाये ही बेश कीमती भूमि कब्जा कर भूमियों को दीगर भूमाफियाओं को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व भूमि के विशिष्ठ भाग पर निर्माण आदि करने एंव कृषि भूमि का अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एंव खुर्द–बुर्द करने की एहलानियॉ धमकीयॉ दे रहे है व प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान् को उसके हक हिस्से एंव अधिकार से जोर जबरन महरूम कर बेदखल करने की धमकीयॉ दे रहे है व चेष्टा कर रहे है। जिनको शामलाती भूमि का बिना बंटवारा करवाये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने काफी हैरान परेशान कर रखा है। कहने सुनने से अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मान नहीं रहे है। अप्रार्थीगण बिना बंटवारा करवाये उक्त वर्णित भूमि की बढ़ती हुई कीमतों के कारण उनके मन में बदनियति आने पर दीगर भूमाफियाओं को विशिष्ट भू भाग को बेचान करने एवं जबरन विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करने एवं कराने पर आमादा हो रहे है। यदि अप्रार्थीगण उक्त शामलाती भूमि में विशिष्ट जगह पर स्वंय का जोर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया या दीगर भू माफियावृत्ति के लोगों को अन्तरण आदि कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया या भूमि में निर्माण आदि कर लिया या कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील कर दिया या मौका सूरत तब्दील कर दिया तो प्रार्थीगण एवं तरतीबी पक्षकारान के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होगें। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त गलत अवैध एंव मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को प्रार्थीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के कानूनी अधिकारी है एवं अप्रार्थीगण को न्यायहित में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.09.2024 को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक कंफर्म किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए दौराने बहस अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 3868, 3869, 3871 कुल किता 3 रकबा 0.76 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना (राज0) में अवस्थित हैं। प्रार्थीगण के पिता व पति के नाम हिस्सा 1/12 की रिकार्ड हैं। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र हैं। प्रार्थीगण का पिता गोपीराम व अप्रार्थी संख्या 1 लालूराम सगे भाई हैं व मौके पर भूमियों का बंटवारा बाह्मी तौर पर पूर्व मे ही हो चूका हैं उसी अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 अपनी खातेदारी अनुसार बंटवारे मे आयी भूमियों मे पूर्व मे खाम रिहायशी बनाकर आवास करते चले आ रहे थे व वर्तमान में पुख्ता हवेली का निर्माण किया गया हैं जिसकी पूर्ण ... मात्र छत डाला जाना शेष हैं। जिसको रोकने का प्रार्थीगण को कोई हक ... किस्म का नही हैं। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अ... अप्रार्थीगण/उत्तरदातागण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:04 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] प्रस्तुत करने के आशय से पेश किया है जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है जिनको आर्थिक नुकसान पहुचाने हेतु प्रार्थीगण का नाजायज [illegible] पर हैरान व परेशान कर अप्रार्थीगण के मकान की छत रोकने की बदनियती [illegible] झूंठा वाद दर्ज किये गये है। मौके पर अप्रार्थीगण की नवनिर्मित हवेली की छत भराई की निर्माण सामग्री जीरो रोडी, बजरी, ईट व चूना मसाला, सीमेन्ट के कट्टे 50 मौके पर खराब हो रहे है जिससे अप्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा सामने सर्दी का मौसम आने वाला है। अप्रार्थीगण के नवनिर्मित हवेली की छत नही डाले जाने से अप्रार्थीगण का परिवार की रिहायशी दुभर हो रही है तथा अप्रार्थीगण के छोटे छोटे बाल बच्चे सर्दी मे ठिठुरने की नौबत आ चुकी है। जिससे मौसमी बिमारियों से अप्रार्थीगण के बच्चे व अन्य परिवार के सदस्य बिमार भी हो रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण अदालत हाजा के सम्मुख सही एंव वास्तविक स्थिति प्रकट करते हुये शुद्ध हस्त से नही आये है। इसलिए कोई अनुतोष बमुकाबले मिन अप्रार्थीगण न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है एंव ना ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति ही होती है। इसलिए वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, नक्शा ट्रैस, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत चार मौके के फोटोग्राफस इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज वादग्रस्त आराजी की खसरा नम्बर 3868, 3869, 3871 कुल किता 3 रकबा 0.76 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थीगण के पिता व पति के नाम हिस्सा 1/12 दर्ज रिकार्ड होना तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 अप्रार्थी संख्या [illegible] के [illegible] होना एंव प्रार्थीगण का पिता गोपीराम व अप्रार्थी संख्या 1 ला[illegible] आपस में [illegible] होना प्रकट होता हैं। [illegible] वादग्रस्त भूमियों का मौके पर बंटवारा बाह्मी तौर प[illegible]र्व मे ही होना तथा संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खातेदारी की भूमि का अभी तक विधिक विभाजन नहीं होना प्रतित होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया जाना प्रकट होता है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमियों पर बिना अनुमति के रिहायश हेतु मकानात् निर्माण का कार्य किया जाना फोटोग्राफस से प्रतित होता है। जिसकी पूर्ण चौरसाई होना एंव केवल मात्र छत डाला जाना शेष होना फोटोग्राफस से प्रकट होता है। जहाँ तक वादग्रस्त भूमियों को बिना विधिक तकास्मा कराये दीगर व्यक्तियों को भूमियों का विक्रय कर उनका कब्जा करवाने एंव भूमि के विशिष्ठ भू भाग पर निर्माण कार्य किये जाने का प्रश्न है तो संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमियों को बिना विधिक तकास्मा कराये अन्तरित किये जाने से रोकने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतित होता है। जहाँ तक वादग्रस्त आराजी भूमियों का विधिक बंटवारा करवाये जाने का प्रश्न है तो वह पक्षकारान् प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की मूल वादपत्र में वाद तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान् की साक्ष्य, सुनवाई लिये जाने के उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने पर ही विधिक बंटवारा करवाया जाना सम्भव होगा। जिसमें भी अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने तकास्में हेतु सहमत होना जाहिर किया है।

वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3868, 3869, 3871 कुल किता 3 रकबा 0.76 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थीगण के पिता स्व0 गोपीराम के एंव अप्रार्थी संख्या 1 के स्वंय के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होने से प्रथम दृष्टवा मामला दोनों के ही पक्ष में होना प्रतित होता है तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्मित [illegible] रिहायसीय मकानात की छत, [illegible]नात/द्वारे आदि की मरम्मत एंव पूर्व से निर्मा[illegible] अपनाते हुए प्रार्थना पत्र [illegible]ाई, फर्श आदि को पूर्ण किये जाने [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक स्वीकार किया जाना न्या[illegible]त प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3868, 3869, 3871 कुल किता 3 रकबा 0.76 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर को बिना विधिक बंटवारा कराये किसी दीगर अजनबी लोगों को किसी प्रकार का विक्रय पत्र, इकरारनामा दानलेख आदि अन्तरित नहीं करें एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं वादग्रस्त आराजी में पूर्व से निर्मित मकानात ढारे आदि की मरम्मत कर सकेंगे तथा पूर्व से निर्माणाधीन मकान (मकान की छत, लिपाई व फर्श) को पूरा कर सकेंगें लेकिन कोई नया निर्माण नहीं करेगें। मूल वादपत्र के निस्तारण तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3868, 3869, 3871 कुल किता 3 रकबा 0.76 हैक्टर तन् ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 एक दूसरे के कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेगें तथा ना ही दीगर से करवायेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:04 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 31 [illegible] 20 [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)